उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 अंक 2 16-31 जनवरी 2023 ₹ 20/-

क्या भाजपा के नजदीक आ सकते हैं पसमांदा मुसलमान

- बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर विवाद
- यूरोपीय देशों में क़ुरान जलाने पर मचा बवाल
- ईरान पर परमाणु हमले के लिए इजरायल तैयार
- हरिद्वार की सात मस्जिदों पर जुर्माना

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

क्या भाजपा के नजदीक आ सकते हैं पसमांदा मुसलमान? 04
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर विवाद 10
अजमेर दरगाह में बरेलवियों की पिटाई 13
मुगल गार्डन का नाम बदलने पर विवाद 14
असम सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार 16

विश्व

यूरोपीय देशों में कुरान जलाने पर मचा बवाल 18
पाकिस्तान में मस्जिद पर हमले में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मरे 20
ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले 21
अपराधों की रोकथाम के लिए शराब पर प्रतिबंध 22
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बेटा मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी 23

पश्चिम एशिया

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ा तनाव 24
मोरक्को ने 18 वर्ष के बाद बगदाद में अपना दूतावास खोला 25
ईरान पर परमाणु हमले के लिए इजरायल तैयार 26
इस्लामिक विद्वान को फांसी देने के सऊदी फैसले का विरोध 27
आईएसआईएस के समर्थकों के खिलाफ अभियान 28

अन्य

आठवें निजाम का निधन 29
तसलीमा नसरीन हुईं अपाहिज 29
हरिद्वार की सात मस्जिदों पर जुर्माना 29
कॉलेज में बुर्का पहनकर आने की अनुमति 30
जातिगत जनगणना पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार 30

सारांश

खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने विदेशों में हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। समाचारपत्रों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में एक दर्जन के लगभग हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है और वहां की मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। इन घटनाओं के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' का हाथ बताया जाता है। इस घृणित अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। इसके बाद कनाडा में भी ऐसी ही कुछ घटनाएं हुईं। भारत सरकार ने इन घटनाओं को निंदनीय करार देते हुए संबंधित देशों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे भारतीय समुदाय के उपासना स्थलों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं। इसके साथ ही उन देशों में रहने वाले भारतीयों के जान-माल और संपत्ति की रक्षा के लिए भी उचित कदम उठाए जाएं।

यूरोपीय देशों में इस्लामिक आतंकवाद का तेजी से प्रसार होने के कारण वहां की जनता में इस्लाम और इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। हाल ही में स्वीडन, डेनमार्क और नीदरलैंड में कट्टर दक्षिणपंथियों की ओर से कुरान की प्रतियां जलाई गईं। इन घटनाओं का विरोध दुनिया भर के इस्लामिक देशों द्वारा किया जा रहा है। इस्लामिक जगत के सबसे बड़े धार्मिक शिक्षा संस्थान अल-अजहर विश्वविद्यालय ने सभी इस्लामिक देशों से मांग की है कि जिन यूरोपीय देशों में कुरान का अपमान किया गया है, उनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध समाप्त किया जाए और उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाए।

पाकिस्तान ने जिस इस्लामिक आतंकवाद को जन्म दिया और उसे प्रोत्साहित किया, वही अब उसके लिए गंभीर सिरदर्द बनता जा रहा है। हाल ही में प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने वहां पर हिंसा की ज्वाला को भड़का दिया है। ताजा घटना पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद पर हमले की है। पाकिस्तानी अखबार 'जंग' के अनुसार इस हमले में कम-से-कम 100 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 400 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से अनेक की हालत गंभीर है। इस हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई है। सभी पाकिसतानी नागरिकों से अपील की गई है कि वे घायल पुलिसकर्मियों की जान बचाने के लिए देश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन करें। सरकार ने देश के सभी अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया है कि वे किसी भी इमरजेंसी का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।

देश के पसमांदा मुस्लिम समाज में भाजपा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सलाह दी है कि वे पसमांदा मुसलमानों को भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया है कि वे कोई ऐसा बयान न दें, जिससे आम मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंचे। भाजपा और संघ परिवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में मुस्लिम समाज में फैली हुई भ्रांतियों के निराकरण के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ वार्तालाप का जो सिलसिला शुरू किया था, वह धीरे-धीरे रंग ला रहा है। इस संबंध में अब तक दो उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं, जिसके परिणाम सकारात्मक रहे हैं। मुस्लिम अखबारों के अनुसार भाजपा को मिलने वाले मुस्लिम मतों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। 2014 में भाजपा को 9 प्रतिशत मुस्लिम मत प्राप्त हुए थे, जो 2019 में बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गए। हाल ही में गुजरात विधानसभा के चुनाव में जो भारी बहुमत प्राप्त हुआ है, उसका श्रेय भी मुस्लिम मतदाताओं को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा के उपचुनावों में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत में भी मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है।

राष्ट्रीय

क्या भाजपा के नजदीक आ सकते हैं पसमांदा मुसलमान?

हमारा समाज (30 जनवरी) के अनुसार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर यह घोषणा करके उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है कि पसमांदा बिरादरी के मुसलमानों के उत्थान के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है और इनको मुख्यधारा में लाने के हमारे प्रयास रंग ला रहे हैं। मोदी के इस बयान से यह साफ हो गया है कि उनका निशाना अब आम मुसलमानों की बजाय पसमांदा मुसलमान हैं और वे भाजपा की ओर बढ़ रहे हैं। इससे देश के पसमांदा मुसलमानों में एक नया जोश पैदा हो गया है। इन 42 पसमांदा बिरादरियों के नेताओं का कहना है कि मुसलमानों की जनसंख्या में उनका 90 प्रतिशत हिस्सा है और अब तक सिर्फ दस प्रतिशत अशरफिया (उच्च जाति) मुसलमानों ने ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है।

समाचारपत्र का कहना है कि यह पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में सोचा है। इसलिए हमें मोदी पर विश्वास करना होगा। यूं तो अक्सर ऐसे बयान पसमांदा बिरादरी के जलसों में दिए जाते हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब पसमांदा मुसलमान उच्च जातियों के अशराफ मुसलमानों को पूरी तरह से हाशिए पर डाल सकते हैं। इसमें देरी इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी के शासनकाल में मुसलमानों के नाम पर जो जुल्म और ज्यादती में वृद्धि हुई है, उससे पसमांदा मुसलमानों को भी नुकसान हुआ है। मॉब लिंचिंग के मामलों में भी पसमांदा मुसलमान ही मारे गए। मस्जिदों और खानगाहों में भी ज्यादातर लोग पसमांदा ही होते हैं। ऐसे में आरएसएस और बजरंग दल के अतिरिक्त जिन संगठनों द्वारा कभी हिजाब और कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने का आरोप लगाकर मुसलमानों को जलील किया जाता है, उसका निशाना भी ज्यादातर पसमांदा बिरादरी के लोग ही बनते हैं। इस्लामिक मदरसों पर हमलों का जो रोड मैप आरएसएस ने तैयार कर रखा है और उनको बंद करने के लिए जो लगातार साजिशें

हो रही हैं, वहां भी पसमांदा वर्ग के ही छात्र होते हैं और इनके अध्यापकों में भी अधिकांश पसमांदा मुसलमान ही शामिल हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि उर्दू भाषा और इससे संबंधित केंद्रीय संस्थानों को भी मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा तबाह किया गया है। उर्दू अखबारों के तमाम विज्ञापनों को बंद करके भी मोदी ने जो कारनामा किया है, उसका प्रभाव भी पसमांदा लोगों पर ही पड़ा है। ऐसे में भाजपा से पसमांदा वर्ग के जुड़ने का जो दावा किया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, यह एक शोध का विषय है। लेकिन अगर मोदी जी चाहें तो अपनी पुरानी नीति में सुधार कर सकते हैं। इसकी शुरुआत मौलाना आजाद एजुकेशन सोसायटी को मिलने वाली छात्रवृत्तियों से ही होनी चाहिए, जिनको मोदी सरकार ने रोक रखा है। क्योकि इस फैसले का सबसे ज्यादा प्रभाव पसमांदा वर्ग के छात्रों पर ही पड़ा है। इसलिए इन छात्रवृत्तियों को बहाल किया जाना चाहिए। अभी तो यह भी देखा जा रहा है कि भाजपा की बैठकों में भी पसमांदा लोगों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्हें मंच से नीचे उतार दिया जाता है। ऐसे में सिर्फ यह कह देने से कि हमारी पार्टी पसमांदा मुसलमानों के साथ खड़ी है, इतना भर से काम नहीं चलेगा।

सालार (29 जनवरी) के अनुसार एक ओर तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश में बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के खिलाफ अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने की ओर हैं। वहीं दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल भाजपा का यह प्रयास है कि अल्पसंख्यकों के वोटों को कैसे विभाजित किया जाए, ताकि तीसरी बार पुनः सत्ता में लौटा जा सके। गणतंत्र दिवस की परेड़ में झांकियों द्वारा एक विशेष धर्म का प्रचार और मिस्र के राष्ट्रपति को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करना इसी सिलसिले की एक कड़ी नजर आती है। एक ओर तो प्रधानमंत्री पसमांदा मुसलमानों की बात करते नजर आते हैं। तो दूसरी ओर, आरएसएस की ओर से मुस्लिम नेताओं के साथ गुप्त वार्ता का सिलसिला जारी है। खबर यह है कि मुस्लिम चिंतकों और इस्लामिक विद्वानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में संघ के जिम्मेवार पदाधिकारियों से मुलाकात की है। यह सब बहुत ही खामोशी से किया गया है। यह बैठक 14 जनवरी को हुई और तीन घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात से मुसलमानों में बेचैनी देखी जा रही है। क्योंकि इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जबकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस मुलाकात में संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हाल ही में दिए गए इंटरव्यू, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह विवाद, मॉब लिंचिंग और गोवध आदि मामलों पर चर्चा हुई।

रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि समरसता के मुद्दों पर वार्ता का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली के दरियागंज स्थित दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग के आवास पर हुई इस बैठक में आरएसएस के कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार ने भाग लिया। जबकि मुसलमानों की ओर से नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस.वाई. कुरैशी, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, उद्योगपति सईद शेरवानी, जमात-ए-इस्लामी से मलिक मोतसिम खान, जमीयत उलेमा के महमूद मदनी गुट से मौलाना नियाज फारूकी, जमीयत के अरशद मदनी गुट से फजलुर रहमान कासमी, अजमेर शरीफ से सलमान चिश्ती आदि शामिल थे।

रिपोर्ट के अनुसार शाहिद सिद्दीकी ने बताया कि इस बैठक में इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि दोनों पक्ष समाज में समरसता पैदा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे और जल्द ही एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। शाहिद सिद्दीकी ने यह भी कहा कि मुसलमानों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाल के इंटरव्यू का

मामला उठाया था, जिसके जवाब में संघ के नेताओं ने पाञ्चजन्य में प्रकाशित हिंदी इंटरव्यू पढ़कर सुनाया। संघ के एक नेता ने कहा कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी यह स्वीकार किया कि संघ प्रमुख का इंटरव्यू तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। जब वाराणसी और मथुरा के विवाद का मामला उठाया गया, तो मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि इन विवादों का समाधान न्यायालय द्वारा ही हो सकता है। मुसलमानों ने यह भी कहा कि अगर सरकार पूरे देश में गोवध पर कानूनन प्रतिबंध लगाती है, तो वे इसका समर्थन करेंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 22 अगस्त को भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।

सालार (27 जनवरी) में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि संघ परिवार को मुसलमानों की पिछड़ी जातियों की तलाश है। रहमानी ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की है कि हिंदू समाज में रामचरित मानस को लेकर ब्राह्मणों के खिलाफ जागृति पैदा हो रही है। हालांकि, गोदी मीडिया ने इस मामले में इस्लाम और मुसलमानों को भी शामिल करने का प्रयास किया था, जो विफल रहा।

रहमानी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि भाजपा खुद मुसलमानों में पसमांदा जातियों और उच्च जातियों का राग अलाप रही है और यह चाह रही है कि इस बहाने मुस्लिम वोटों को विभाजित करके उससे लाभ उठाया जा सके। हो सकता है कि राजनीतिक लाभ के लिए कुछ मुसलमानों को पसमांदा घोषित करके उन्हें लाभ पहुंचा दिया जाए। लेकिन जाहिर है कि यह मुसलमानों के लिए लाभदायक की बजाय हानिकारक ही सिद्ध होगा। मुसलमानों को यह समझ लेना चाहिए कि यह विभाजन इस्लाम के खिलाफ है और यह हिंदू समाज का प्रभाव है। इसके बावजूद आज भी मुस्लिम समाज में जात-पात की जड़ें इतनी गहरी नहीं हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सिर्फ इस दृष्टि से हीन समझे कि वह एक अन्य पसमांदा समाज में पैदा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि मस्जिदें सैयदों और शेखों के लिए ही सुरक्षित है और दूसरी बिरादरी वाले उसमें दाखिल नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई अंसारी और नदाफ इमाम हो, तो मुगल और पठान उसके पीछे नमाज पढ़ने से इंकार कर दें।

इंकलाब (2 जनवरी) में एक मुस्लिम चिंतक ख्वाजा इफ्तिखार अहमद का एक लंबा इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। वे एक मात्र ऐसे मुसलमान हैं, जिनकी पुस्तक 'द मीटिंग ऑफ माइंड्स' का विमोचन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। इस कार्यक्रम के बाद संघ प्रमुख के साथ मुसलमान बुद्धिजीवियों की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत से मुसलमानों का यह कहना है कि इन बैठकों के आयोजन के पीछे ख्वाजा इफ्तिखार का ही हाथ है। ख्वाजा ने इस

बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि 95 वर्ष से मुसलमानों और आरएसएस के बीच जो खाई थी, उसे पाटने का मैंने प्रयास किया है। जब उनसे पूछा गया कि आपने संघ की विचारधारा को जानने के बावजूद संघ के नेताओं से क्यों संपर्क साधा? तो इस पर ख्वाजा ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से भाजपा सत्ता में है। प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। मुझे महसूस हुआ कि वे जिस प्रशिक्षण गृह से निकलकर इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, उसी से बात की जाए। इसलिए यह तय किया गया कि मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से वार्ता करने की बजाय संघ के नेताओं से ही बातचीत की जाए।

ख्वाजा ने कहा कि यह हकीकत है कि इस समय सत्ता आरएसएस के हाथ में है। प्रधानमंत्री को भी वहीं से निर्देश प्राप्त होते हैं। संघ भारत का सबसे बड़ा संगठन है। करोड़ों लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। हर जगह पर इसका दखल है। अब हिंदुत्व का दृष्टिकोण सत्ता में है। हालांकि, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह दृष्टिकोण गांधी के दृष्टिकोण से अलग है।

जब ख्वाजा से पूछा गया कि यह स्थिति कब तक बरकरार रहेगी। इस पर ख्वाजा ने जवाब दिया कि यह स्थिति किसी ने थोपी नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वजूद में आई है। इस देश के हिंदू बहुमत ने हिंदुत्व दृष्टिकोण के प्रवक्ता को प्रधानमंत्री का पद सौंपा है। लेकिन इस दृष्टिकोण से नफरत करने को मैं जाहिलाना सोच मानता हूं। समस्या का हल उनके पास है, तो मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हीं से संपर्क करना होगा। मुलाकात कहीं भी किसी से हो, लेकिन आस्था और ईमान से समझौते का सवाल ही नहीं है। मैं मोहन भागवत की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने मेरी कड़वी बातों को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि यह भी कहा कि आपने जो रास्ता सुझाया है, उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम हर जरूरी कदम उठाएंगे। ख्वाजा ने यह स्वीकार किया कि कोई ऐसा मुस्लिम नेता बचा नहीं है, जो संघ के नेताओं से न मिला है।

इंकलाब (19 जनवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मोमिन कांफ्रेंस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम कासमी ने प्रधानमंत्री द्वारा मुसलमानों के बारे में सकारात्मक कदम उठाने का स्वागत करते हुए कहा है कि इसे मुस्लिम समाज को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि इससे मुसलमानों की समस्या के समाधान का रास्ता खुलेगा और अगर हमने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला तो मुसलमान कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री हम सब के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए अगर वे मुसलमानों के हालात को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाते हैं, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील जेड.के. फैजान ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पसमांदा मुसलमानों का जो शब्द इस्तेमाल किया है, वह सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है और इस शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर मुसलमानों को विभाजित करने के लिए किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का यह निरंतर प्रयास रहा है कि मुसलमानों को जाति के नाम पर विभाजित किया जाए। प्रधानमंत्री का यह बयान उसी अभियान का हिस्सा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बात का स्वागत किया है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के

नेताओं को यह निर्देश दिया है कि वे मुसलमानों के बारे में कोई विवादित बयान देने से बचें।

अवधनामा (21 जनवरी) में एक लेख डॉ. आबिद रहमान का प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अचानक मुस्लिम विरोधी पार्टी भाजपा को पसमांदा मुसलमानों से हमदर्दी और फिक्र क्यों पैदा हो गई है? कहा जाता है कि रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा की जीत के पीछे पसमांदा मुसलमान हैं। इसलिए अब भाजपा ने उत्तर भारत में पसमांदा मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने का विशेष अभियान चलाया है। हालांकि, उनको रिझाने के लिए भाजपा के पास कोई विशेष योजना नहीं है। इसलिए वह उन्हीं समाज कल्याण की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, जो पिछली सरकारों के कार्यकाल में भी जारी थीं और यह कहा जाता था कि उनका लाभ मुसलमानों तक नहीं पहुंचता। अब भी शायद सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमें लगता है कि मोदी जी भी इससे अवगत हैं और पसमांदा मुसलमानों से उनकी हमदर्दी का लक्ष्य पसमांदा मुसलमानों का कल्याण नहीं, बल्कि उनके वोटों को बटोरना है।

अवधनामा (30 जनवरी) में विख्यात पत्रकार जफर आगा का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अब यह बात बिल्कुल साफ है कि भाजपा और संघ मुस्लिम वोट बैंक को विभाजित करने के प्रयास में लगे हुए हैं और उन्हें इसमें सफलता भी मिली है। इन दोनों संगठनों ने मुसलमानों के हर ग्रुप में अपनी घुसपैठ कर ली है। जफर आगा का कहना है कि भारतीय मुसलमानों के पास अब तक सिर्फ एक ही ताकत बची है, वह है उनका एकजुट वोट बैंक। इसका कारण यह है कि अगर मुस्लिम वोट एकजुट रहते हैं, तो वे लोकसभा की 100 के लगभग सीटों की चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और दिल्ली तक मुस्लिम वोट बैंक का महत्व है। काफी सीटों पर मुस्लिम मतदाता 35-40 प्रतिशत तक हैं और कहीं कहीं तो ये 60 प्रतिशत से भी ज्यादा हैं। मगर ये मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ इसी सूरत में कारगर है, जब तक वे एकजुट रहें और किसी एक पार्टी के पक्ष में एक साथ वोट डालें। यह जमीनी हकीकत संघ और भाजपा दोनों के लिए काफी परेशानी का कारण है। क्योंकि अगर हिंदू वोट बैंक जात-पात के नाम पर या किसी अन्य कारण से विभाजित हो जाते हैं और मुस्लिम वोट एकजुट रहते हैं, तो ये लोकसभा के चुनावी नतीजों को काफी हद तक बदल सकते हैं।

जाहिर है कि यह बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत दोनों के लिए परेशान करने के लिए काफी है। इसलिए इन दोनों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को विभाजित करने की ठान ली है और वे एक सुनियोजित तरीके से मुस्लिम वोट बैंक में फूट डालने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने मुसलमानों के हर वर्ग में घुसपैठ करने का प्रयास तेज कर दिया है। यही कारण है कि कुछ महीने पूर्व हैदराबाद में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैडर से यह आग्रह किया था कि वे मुसलमानों के वोटों पर खासतौर पर ध्यान दें और उन्होंने यह भी राय दी कि वे पसमांदा मुसलमानों में अपने काम को तेज कर दें।

इसके बाद संघ परिवार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुसलमानों के तथाकथित बुद्धिजीवियों के साथ बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया। भाजपा ने लोकसभा की उन सीटों को भी चिन्हित कर लिया है जहां पर मुस्लिम मतदाता नतीजों को बदलने की स्थिति में हैं। पहले संघ परिवार ने सूफियों के सहारे मुस्लिम मतों को विभाजित करने का प्रयास किया था। अब दिल्ली में नजीब जंग के घर पर हुई बैठक में न सिर्फ

जमात-ए-इस्लामी बल्कि जमीयत उलेमा के दोनों गुटों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पढ़े-लिखे मध्यमवर्गीय मुसलमानों को भाजपा की ओर मोड़ने के लिए नजीब जंग, एस.वाई. कुरैशी और शाहिद सिद्दीकी का गुट सक्रिय है। यह गुट शिक्षा के नाम पर मुसलमानों को भाजपा से जोड़ने के लिए एक संगठन पहले ही बना चुका है। दूसरी ओर, पसमांदा मुसलमानों में भी कई लोग सक्रिय हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी शामिल हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगले कुछ महीनों में देश के नौ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भाजपा के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि वे हर राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश करें और कोई कसर बाकी न रखें। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है, वह नड्डा के इस बयान से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। अगर प्रधानमंत्री के बयान को कार्यान्वित किया गया, तो भाजपा की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। उन्होंने अपने पार्टी के कैडर को यह निर्देश दिया है कि मुसलमानों के बारे में कोई विवादित बयानबाजी न करें। हालांकि, इससे पहले उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का जो नारा लगाया था, उसे कार्यान्वित नहीं किया गया और मुसलमानों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया।

समाचारपत्र का कहना है कि मोदी सरकार ने न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहन दिया, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बनाने का अभियान भी चलाया। इसके बाद मुसलमानों के धर्म में भी हस्तक्षेप करने का अभियान शुरू कर दिया गया। इसका पहला नमूना तीन तलाक था। इसके बाद सूर्य नमस्कार, योग और भगवद् गीता के पाठ को मुसलमानों पर जबरन लादा गया। धर्मांतरण के नाम पर उलेमा को गिरफ्तार किया गया और मस्जिदों तथा मदरसों को भी निशाना बनाया गया। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए और यह सिलसिला अब भी जारी है। मगर इसके बावजूद हम प्रधानमंत्री के हाल के बयान का स्वागत करते हैं और यह आशा करते हैं कि यह सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित न रहे, बल्कि इसे कार्यान्वित किया जाए।

हमारा समाज (21 जनवरी) ने अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री के निर्देश का स्वागत

किया है, जिसमें उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि वे मुसलमानों के बारे में कोई विवादित और गलत बयान न दें, बल्कि वे मुसलमानों के पास जाएं और उनसे संपर्क बढ़ाने की कोशिश करें और खास तौर पर पसमांदा मुसलमानों की ओर विशेष ध्यान दें। सवाल यह है कि आखिर भाजपा को मुसलमानों की फिक्र अब क्यों सता रही है? इसके पीछे क्या कारण है? पर्यवेक्षकों का कहना है कि हिंदू मतदाताओं का मोह, क्योंकि भाजपा से भंग हो रहा है, इसलिए अब पार्टी मुसलमानों के मतों को बटोरने के लिए विशेष रूप से सक्रिय होना चाहती है।

समाचारपत्र का कहना है कि 2009 के बाद होने वाले संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले मुस्लिम मतों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 2014 में उसे 9 प्रतिशत मुसलमानों के मत मिले थे, जो 2019 में बढ़कर 20 प्रतिशत से भी अधिक हो गए। अब पार्टी इसमें और भी वृद्धि करना चाहती है।

हमारा समाज (16 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आरएसएस की मुस्लिम दुश्मनी का शिकार हमेशा मुसलमान रहे हैं। लेकिन स्वयं को अराजनीतिक कहने वाले आरएसएस और उसके सहायक संगठनों ने इस आरोप का हमेशा खंडन किया है। गत कुछ वर्षों में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने अलग-अलग मंचों से जो बयान मुसलमानों के बारे में दिए थे, उससे यह संकेत देने की कोशिश की गई थी कि मुसलमानों के बारे में संघ के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और देश की तरक्की के लिए मुसलमानों का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिदों और ईदगाहों में शिवलिंगों की तलाश बंद कर देनी चाहिए। इस बयान के बाद भारत के मुसलमानों को भी यह लगने लगा कि अब हालात सुधरने लगे हैं। लेकिन फिर उन्होंने यूटर्न लेते हुए पाञ्चजन्य और ऑर्गेनाइजर को इंटरव्यू देकर मुसलमानों के बारे में जो कुछ कहा है, उससे साफ है कि आरएसएस अभी तक गुरू गोलवलकर की विचारधारा से एक कदम भी पीछे नहीं हटी है और वह आज भी मुसलमानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा इसका उदाहरण है। सरकार ने मुसलमानों को ईदगाह और मस्जिद बनाने के लिए जो जमीन आवंटित किया था, उसके निर्माण में भी शरारती तत्व निरंतर बाधा डाल रहे हैं। हाल ही में अंग्रेजी अखबार 'हिंदू' ने इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसने हरियाणा सरकार और उसके अधिकारियों की मुस्लिम दुश्मनी की पोल खोलकर रख दी है।

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर विवाद

मुंबई उर्दू न्यूज (22 जनवरी) के अनुसार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' के पहले भाग को प्रसारित करने वाले विभिन्न यूट्यूब चैनलों के इस वीडियो को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री से संबंधित 50 से ज्यादा ट्वीट को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने आईटी नियम 2021 के तहत यह निर्देश जारी किया है। इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी ने बनाया है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का एक हिस्सा बताया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि इसे भारत विरोधी एजेंडे को प्रोत्साहन देने के लिए अपलोड किया गया है।

सरकार ने इस फिल्म को भारत की सर्वोच्च न्यायालय की अथॉरिटी और शाख पर

हमला करने वाला बताया है और कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री से भारत की संप्रभुता और एकता को क्षति पहुंच सकती है। देश के भीतर न सिर्फ शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, बल्कि विदेशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गौरतलब है कि बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और देश के मुसलमानों के बीच तनाव का वातावरण है। इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस बात की जांच की जाए कि 2019 के चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

इत्तेमाद (25 जनवरी) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा इस विवादित डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद केरल में विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया गया। जबकि भाजपा के यूथ विंग ने इसके खिलाफ विरोध प्रकट किया है और उसने कई स्थानों पर विरोधस्वरूप जुलूस भी निकाले हैं। खास बात यह है कि एक अप्रत्याशित कोने से भाजपा को समर्थन प्राप्त हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने पर विरोध प्रकट किया है और उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया है। सीपीआईएम की यूथ विंग डीवाईफआई ने अपने फेसबुक पेज पर यह ऐलान करके सियासी तूफान पैदा कर दिया है कि वह पूरे केरल में इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगी। इसके बाद सीपीआई के छात्र विंग ने भी ऐसी ही घोषणा की है। यूथ कांग्रेस ने भी इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक तौर पर दिखाने की घोषणा की है। भाजपा ने केरल के मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है और उनसे कहा है कि राज्य में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

अवधनामा (28 जनवरी) के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने को लेकर काफी हंगामा हुआ। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आर्ट्स फैकल्टी के बाहर धारा 144 को लागू कर दिया और अनेक छात्रों को हिरासत में ले लिया। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी

सागर सिंह कलसी ने कहा है कि किसी को भी अशांति फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के आरोप में 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि, कुछ छात्रों ने अपने लैपटॉप और मोबाइल पर इस डॉक्यूमेंट्री को देखा है। इस डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। मगर इसके बावजूद कुछ विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर काफी हंगामा भी हुआ है। दिल्ली की अंबेडकर विश्वविद्यालय में भी कुछ छात्र संगठनों ने इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की घोषणा की थी। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिजली की सप्लाई बंद कर दी। इसके बाद छात्र भड़क उठे। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के छात्रों ने भी इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की योजना बनाई थी। मगर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी।

औरंगाबाद टाइम्स (26 जनवरी) के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर डॉ. नजमा अख्तर ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी को इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जो छात्र इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्रसंघ ने दावा किया है कि पुलिस ने 70 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया था, जिन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (28 जनवरी) के अनुसार स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाया था। इसके जवाब में विद्यार्थी परिषद की ओर से कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म को दिखाया गया। पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में भी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इस विवादित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया।

इत्तेमाद (25 जनवरी) के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से बिजली और इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। मगर छात्रसंघ ने लेपटॉप और मोबाइल पर इस फिल्म को दिखाया, जिस पर छात्रों के दो गुटों में झड़पें हुईं। छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने जेएनयू प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वह सत्तारूढ़ दल की कठपुतली बन गई है। समाचारपत्रों के अनुसार छात्रों के दो गुटों के बीच पथराव होने की भी सूचना है।

अवधनामा (25 जनवरी) ने अपने संपादकीय में केंद्र सरकार द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने की निंदा की है और कहा है कि क्या 2002 में गुजरात में दंगे नहीं हुए थे? क्या उनमें एक हजार से ज्यादा लोग नहीं मारे गए थे? क्या बेस्ट बेकरी को जलाया नहीं गया था? क्या बिलकिस बानो का रेप नहीं हुआ था? क्या उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह नहीं कहा था कि गुजरात में राजधर्म का पालन नहीं हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात दंगों की सुनवाई करने से इंकार कर दिया, इसलिए क्या

इस मामले पर अब देश में कोई चर्चा नहीं होगी? बीबीसी की इस फिल्म ने गुजरात दंगों के जख्मों को ताजा कर दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (22 जनवरी) ने शकील रशीद का एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि बीबीसी ने तथ्य पेश किए हैं और अपनी तरफ से कोई राय नहीं दी है। मोदी सरकार बार-बार यह दावा करती आ रही है कि उसकी नीतियां मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। इसी दावे पर बीबीसी ने प्रश्नचिन्ह लगाया है। क्योंकि गुजरात के दंगे हमेशा मोदी के लिए एक नाजुक मुद्दा रहे हैं, इसलिए जब भी इस दंगे का जिक्र किया जाता है, तो मोदी पर ही उंगली उठाई जाती है। अब तो पूरी मशीनरी उनकी रक्षा के लिए उठ खड़ी हुई है। इसलिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ सरकारी क्षेत्रों में जबर्दस्त नाराजगी नजर आ रही है। अदालत ने गुजरात के दंगों की सुनवाई को अब खत्म कर दिया है। लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने गुजरात के रक्तरंजित इतिहास को फिर से जनता के सामने ला दिया है। वैसे भी इतिहास को कितना भी तोड़ने-मरोड़ने का प्रयास की जाए, लेकिन न तो इतिहास को समाप्त किया जा सकता है और न ही इसकी सच्चाई को खत्म किया जा सकता है।

हमारा समाज (30 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकार के दबाव पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इस विवादित डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मगर अब तो हालत यह है कि पूरे देश के एक दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इस फिल्म को दिखाकर अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का ढिंढोरा पीट चुके हैं। लोगों को यह अंदाजा ही नहीं है कि मोदी एंड कंपनी ने बड़ी खामोशी के साथ देश के बहुसंख्यक समाज तक यह बात पहुंचा दी है कि मोदी इस युग के भगवान हैं। उन्हें हिंदू धर्म के उत्थान के लिए भेजा गया है और वे निरंतर अपना काम कर रहे हैं। गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम भी सनातनी हिंदुओं के लिए गौरव की बात है और जब तक वे मुसलमानों के खिलाफ अपना धर्मयुद्ध जारी रखेंगे, आम हिंदुओं के वोट उन्हें मिलते रहेंगे।

बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को भी मोदी के वोटर अपने पक्ष में समझते हैं। क्योंकि 2002 के गुजरात दंगों को 18 और 20 वर्ष के नौजवानों ने देखा नहीं है। इसलिए वे इसे धर्मयुद्ध मानते हैं। देश का माहौल इन 20 वर्षों में इस ढंग का बना है कि इसमें मोदी टीम के खिलाफ होने वाले हर हमले को इनके भक्त अपनी आस्था पर हमला समझते हैं।

हमारा समाज (26 जनवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर देश भर में जो हंगामा हो रहा है, उससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसी क्या सामग्री है, जिसके कारण सरकार को घबराहट है और उस पर पाबंदी लगानी पड़ी है? जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी तो अदालत से तमाम दोषों से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं।

अजमेर दरगाह में बरेलवियों की पिटाई

इंकलाब (31 जनवरी) के अनुसार बरेलवी मुसलमानों के संगठन जमात रजा-ए-मुस्तफा के उपाध्यक्ष सलमान हसन खान से बरेली दरगाह के अधिकारी पहले से ही नाराज हैं। अब अजमेर में हुए विवाद के बाद यह मामला और गरम हो गया है। बरेली दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद कैफ रजा खान ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में वहां के खादिमों द्वारा बरेलवियों के साथ मारपीट की गई है। इसके बाद भी जमात रजा-ए-मुस्तफा के

उपाध्यक्ष सलमान हसन खान का वहां के खादिमों से दस्तारबंदी करवाना अविश्वसनीय है। एक ओर तो बरेलवी संप्रदाय के मानने वालों पर दरगाह में हमला किया गया। वहीं दूसरी ओर, इन्हीं हमलावरों को सलमान हसन खान ने बरेली आने का आमंत्रण दे दिया।

कैफ रजा ने कहा कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष एकता का संदेश लेकर उर्स से पूर्व अजमेर गए थे, तो उन पर तरह-तरह के आरोप लगाए गए थे। सलमान यह बताएं कि वे अजमेर शरीफ में सरवर चिश्ती से मुलाकात करने के लिए क्यों गए थे? और उन्होंने वहां जाने के लिए किससे अनुमति ली थी? उन्होंने सलमान हसन खान को उपाध्यक्ष के पद से हटाने की मांग की है।

गौरतलब है कि उर्स से पूर्व अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज की कुल की रस्म में फातिहा-ख्वानी के बाद वहां बरेलवी श्रद्धालुओं के एक गुट ने आला हजरत रजा शाह का कलाम पेश किया था और आला हजरत के नारे लगाए थे। इस पर अजमेर शरीफ के खादिमों ने शाहजहानी मस्जिद के अंदर दाखिल होकर इन बरेलवियों की जबर्दस्त पिटाई की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि जिन लोगों ने यह मारपीट की वे ताज अल-शरिया के मुरीद थे। जिस तरह से वहां पर बरेलवियों की पिटाई हुई है, उससे बरेलवी संप्रदाय में बहुत गुस्सा है। सोशल मीडिया में जो पोस्ट वायरल हुए हैं, उससे यह संकेत मिलता है कि अजमेर शरीफ और बरेली दरगाह के समर्थकों में गंभीर मतभेद हैं। हाल ही में मौलाना तौकीर रजा खान ने इन मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया था और उन्होंने अजमेर जाकर सरवर चिश्ती से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि अजमेर शरीफ के खादिमों को बरेली दरगाह के आला हजरत के कलाम को पेश करने पर आपत्ति थी, इसलिए उन्होंने उनके साथ मारपीट की।

मुगल गार्डन का नाम बदलने पर विवाद

इंकलाब (29 जनवरी) के अनुसार केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। सरकार की ओर से यह कहा गया है कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने की याद में अमृत महोत्सव के थीम को देखते हुए इसके नाम को बदला गया है। हालांकि, केंद्र में भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद कई नामों में परिवर्तन किया गया है, जिनके बारे में लोगों की धारणा है कि इसके पीछे राजनीतिक द्वेष है। सरकार ने कुछ समय पूर्व दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर ए.पी. जे. अब्दुल कलाम रोड कर दिया था। इसी तरह से कोटला फिरोजशाह स्टेडियम का नाम बदलकर अरूण जेटली स्टेडियम रखा गया है। प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग और रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन दर्शकों की दिलचस्पी का एक बड़ा केंद्र है। अमृत उद्यान के

नए नाम का उद्घाटन स्वयं राष्ट्रपति ने किया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कई नगरों और रेलवे स्टेशनों के मुस्लिम नामों को बदला है।

टिप्पणी: मुगल गार्डन का नाम राष्ट्रपति भवन दिवस से पहले बदला गया है। दरअसल, 1 फरवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पुराने वायसराय हाउस में रहने के लिए आए थे और उनके आदेश पर ही हर वर्ष राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को आम जनता के प्रवेश के लिए खोले जाने की शुरुआत हुई थी। 15 एकड़ में फैला मुगल गार्डन 1928 में एक वर्ष के दौरान बनकर तैयार हुआ था। वायसराय लॉर्ड इरविन यहां 6 फरवरी 1929 को रहने के लिए आए थे। मुगल गार्डन का डिजाइन राष्ट्रपति भवन के मुख्य वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस ने 1917 में ही बना लिया था। मुगल गार्डन की लैंडस्केपिंग को उद्यान विभाग के निदेशक विलियम रॉबर्ट मुस्टो ने तैयार किया था। इसमें ब्रिटिश और मुगलकालीन उद्यान शैली का शानदार सम्मिश्रण दिखाई देता है। इस उद्यान में गुलाब की 150 प्रजातियां हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और मदर टेरेसा के नाम पर भी दो विशेष गुलाब की प्रजातियां इस उद्यान में विकसित की गई हैं।

जानकार सूत्रों के अनुसार मुगलों ने भारत में आने के बाद उद्यानों को विकसित करने के लिए फारस के चारबाग मॉडल को अपनाया था। इस मॉडल में उद्यान समतल नहीं होता है, बल्कि विभिन्न चरणों में अलग-अलग हिस्सों की उंचाई को क्रमशः धीरे-धीरे कम किया जाता है। देश में इस नमूने पर मुगलों ने जिन बागों को विकसित किया, उनमें निशात बाग, शालीमार बाग, सिकंदर बाग, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल का ताज गार्डन और चंडीगढ़ के समीप पिंजौर गार्डन मुख्य हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली में तालकटोरा गार्डन को भी इसी नमूने पर विकसित किया था। यही मॉडल वायसराय लॉज के बाग को विकसित करने के लिए अपनाया गया और इसे मुगल गार्डन का नाम दिया गया था। सबसे पहले 2019 में मुगल गार्डन का नाम बदलने की मांग हिंदू महासभा ने की थी। उन्होंने कहा था कि इसका नाम बदलकर डॉ. राजेंद्र प्रसाद उद्यान कर दिया जाए। मगर उनकी

इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। मुगल उद्यानों की तरह इसमें नहरों और चबूतरों की भी व्यवस्था है। देश के प्रत्येक राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में इसमें तरह-तरह के सुधार किए हैं। हाल ही में इसमें आयुर्वेदिक जड़ी-बुटियों को भी लगाया गया है।

इंकलाब (31 जनवरी) के अनुसार राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान में किए जाने का मामला अभी समाप्त नहीं हुआ था कि दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मुगल गार्डन का नाम भी बदलकर गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान रख दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि नाम बदलने का यह फैसला विश्वविद्यालय की गार्डन कमेटी ने किया है। विश्वविद्यालय के इस बाग के मध्य में गौतम बुद्ध की एक मूर्ति भी लगी हुई है।

रोजनामा सहारा (30 जनवरी) के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने पूछा है कि क्या मुगल गार्डन का नाम बदलने से जनता की परेशानी दूर हो जाएगी? देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस तरह से सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने का असफल प्रयास कर रही है।

इंकलाब (31 जनवरी) के अनुसार इस्लामिक स्कॉलर डॉ. जफरूल इस्लाम खान ने कहा है कि मुगल गार्डन मुगल बादशाहों ने नहीं बनाया था, बल्कि अंग्रेजों ने मुगलों के शासन की शानदार स्मृति की याद को ताजा करने के लिए वायसराय हाउस में बनाए गए इस बाग का नाम मुगल गार्डन रखा था। सरकार हिंदुत्व के एजेंडे के रास्ते पर चल रही है और वह मुगल शासकों के शानदार इतिहास को मिटाने के लिए इस तरह की घटिया हरकतें कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हासमी ने भी मुगल गार्डन का नाम बदलने का विरोध किया है और कहा है कि यह वर्तमान सरकार का घटिया मानसिकता है। नाम बदलने से मुगलों के शानदार इतिहास पर पर्दा नहीं डाला जा सकता और न ही उनकी स्मृति को जनता के दिमाग से मिटाया जा सकता है।

असम सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार

मुंबई उर्दू न्यूज (29 जनवरी) ने दावा किया है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगले पांच छह महीने में उन हजारों पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिन्होंने 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से विवाह कर रखा है। कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाना जुर्म है। चाहे वह लड़की उसकी विवाहित पत्नी ही क्यों न हो। शर्मा ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। सरकार अल्पव्यस्कों के विवाहों को रोकना चाहती है और इस संबंध में सभी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि असम मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया है कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ विवाह करने वालों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इस्लाम में निकाह के लिए लड़की की कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है और किसी भी उम्र की लड़की के साथ निकाह किया जा सकता है। मगर शरिया के अनुसार लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसका रजस्वला होना जरूरी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 जनवरी) के अनुसार असम मदरसा रेग्युलरिटी अथॉरिटी ने राज्य के सभी छोटे मदरसों को बड़े मदरसों में मिलाने का फैसला किया है। एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 400 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है। ऑल असम तंजीम मदरसा कौमिया के महासचिव मौलाना अब्दुल कादिर कासमी ने कहा है कि सरकार के इस फैसले के कारण मुसलमानों में काफी बेचैनी है। क्योंकि असम सरकार का रवैया इस्लाम और मुस्लिम विरोधी है। असम पुलिस के महानिदेशक भास्कर ज्योति महंता ने कहा है कि क्योंकि, छोटे मदरसों का इस्तेमाल आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है, इसलिए उन्हें बड़े मदरसों में शामिल किया जा रहा है। सरकार की नीति के अनुसार तीन किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ एक ही मदरसा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अंसार उल्लाह और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन तेजी से अपना जाल फैला रहे हैं और पिछले वर्ष असम में 53 इस्लामिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 जनवरी) के अनुसार असम सरकार ने सरकारी वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के नाम पर 200 से अधिक बांग्लाभाषी मुसलमानों को बेघर कर दिया है और उनके घरों को बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया गया है। बेघर होने वाली एक 55 वर्षीय महिला ने दावा किया कि वह 30 वर्ष से इसी घर में रह रही थी।

इसी अखबार में प्रकाशित 13 जनवरी के एक अन्य समाचार के अनुसार सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के नाम पर 300 मुस्लिम परिवारों को बेघर किया गया है। ऑल इंडिया माइनोरिटी स्टूडेंट यूनियन ने इस सरकारी अभियान को पक्षपातपूर्ण और धार्मिक द्वेष से प्रेरित बताया है।

विश्व

यूरोपीय देशों में कुरान जलाने पर मचा बवाल

सियासत (23 जनवरी) के अनुसार स्वीडन में सरकार द्वारा इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों की अनुमति मिलने के बाद स्टॉकहोम स्थित तुर्किये दूतावास के बाहर कुरान को जलाया गया और इस्लाम विरोधी नारे लगाए गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुरान जलाए जाने का विरोध करते हुए तुर्किये ने स्वीडन के रक्षा मंत्री पाल जॉनसन के तुर्किये दौरे को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि तुर्किये द्वारा स्वीडन को नाटो संधि में शामिल करने का इसलिए विरोध किया जा रहा था, क्योंकि स्वीडन में इस्लाम विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस नीति के खिलाफ स्वीडन के कट्टर दक्षिणपंथियों ने स्टॉकहोम स्थित तुर्किये दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि कि अगर मुसलमान स्वीडन में अभिव्यक्ति की आजादी चाहते हैं, तो उन्हें स्वीडन में नहीं, बल्कि कहीं और रहना चाहिए।

स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम ने इन प्रदर्शनों की निंदा की है और कहा है कि इस्लाम के खिलाफ जो उत्तेजनात्मक भावना जागृत हो रही है, वह खतरनाक है। स्वीडन में अभिव्यक्ति की आजादी का यह मतलब नहीं है कि हम ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करें। तुर्किये के विदेश मंत्री मेवलट कावुसोग्लू ने कहा है कि तुर्किये ने स्वीडन सरकार से पहले ही यह आग्रह किया था कि इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों की अनुमति न दी जाए। मगर हमारे इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। सऊदी अरब, कुवैत, पाकिस्तान और इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) ने कुरान के अपमान किए जाने की निंदा की है।

सियासत (30 जनवरी) के अनुसार स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी एक मस्जिद के समीप कुरान को जलाया गया। रासमुस पेलुदान नामक एक दक्षिणपंथी नेता पुलिस की एक कार में बैठकर डेनमार्क की एक मस्जिद और तुर्किये दूतावास के समीप पहुंचा और उसने वहां पर कुरान को जलाया। गौरतलब है कि इससे पहले इसी व्यक्ति ने स्वीडन में भी कुरान को जलाया था। इस व्यक्ति के पास स्वीडन और डेनमार्क की भी नागरिकता है। इस घटना के बाद पाकिस्तान

की राजधानी इस्लामाबाद में स्वीडन और डेनमार्क के दूतावास के बाहर उग्र प्रदर्शन हुए हैं। इससे पूर्व 23 जनवरी को नीदरलैंड में भी कुरान की प्रतियां जलाई गई थीं।

इत्तेमाद (23 जनवरी) के अनुसार इस्लामी सहयोग संगठन के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा ने कुरान जलाए जाने की निंदा करते हुए कहा है कि इससे दुनिया भर के दो अरब मुसलमानों को गहरा धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में स्वीडन सरकार ने इस्लाम का अपमान करने की अनुमति दी थी।

अवधनामा (30 जनवरी) के अनुसार यूरोप के देशों में कुरान को जलाए जाने के खिलाफ हजारों मुसलमानों ने लंदन में उग्र प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए।

सालार (29 जनवरी) के अनुसार यूरोप के देशों में कुरान को जलाए जाने के खिलाफ दर्जनों मुस्लिम देशों में उग्र प्रदर्शन किए गए। लेबनान की राजधानी बेरूत में नीले गुंबद वाली मस्जिद के बाहर स्वीडन और नीदरलैंड के झंडे जलाए गए। इराक के शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल-सदर ने कहा है कि जिन लोगों ने कुरान को जलाया है, उन पर खुदा का कहर बरपेगा। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कुरान को जलाए जाने की निंदा करते हुए कहा है कि यह शैतानी हरकत है और इससे साफ है कि यूरोप में सेक्युलरवाद केवल एक ढोंग है। वहां पर इस्लाम के खिलाफ जो भावना भड़क रही है वह निंदनीय है।

सालार (28 जनवरी) के अनुसार नीदरलैंड और स्वीडन में कुरान का अपमान किए जाने की मिस्र की अल-अजहर यूनिवर्सिटी ने निंदा की है और मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे इन देशों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बहिष्कार करें। अल-अजहर यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सभी इस्लामिक देशों को एकजुट होकर ऐसी हरकतों की निंदा करनी चाहिए।

कुरान को जलाए जाने के खिलाफ ओआईसी देशों के राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र में एक आपातकालीन अधिवेशन का आयोजन किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि इस्लामोफोबिया एक वास्तविकता है, जिसका दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए।

समाचारपत्र के अनुसार कुरान की तौहीन किए जाने के खिलाफ तुर्किये, कतर, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, यूगांडा, इराक, जॉर्डन और यमन में उग्र प्रदर्शन हुए। ईरान और अफगानिस्तान में भी उग्र प्रदर्शनों में कुरान के जलाए जाने की निंदा की गई।

कौमी तंजीम (23 जनवरी) के अनुसार मुस्लिम वर्ल्ड लीग का एक विशेष अधिवेशन सऊदी अरब में हुआ, जिसमें इस घटना की निंदा करते हुए सरकारों से अपील की गई कि वे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। संगठन के महासचिव डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने आरोप लगाया कि इस्लाम के खिलाफ जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस घटना की निंदा की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 जनवरी) के अनुसार रजा अकादमी की एक आपातकालीन बैठक में इसके प्रमुख मोहम्मद सईद नूरी ने कहा है कि हम इस्लाम की तौहीन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम कुरान की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से अपील की कि जिन देशों में कुरान को जलाया गया है, उन देशों के साथ वे अपने डिप्लोमेटिक संबंध समाप्त कर दें।

हमारा समाज (24 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस घटना की निंदा की है और कहा है कि यूरोप में इस्लाम के खिलाफ जो नफरत की भावना पैदा की जा रही है, वह बेहद खतरनाक है।

अवधनामा (24 जनवरी) के अनुसार मजलिस-ए-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना कल्बे जवाद ने कुरान को जलाए जाने की हरकत को एक वहशियाना कृत्य बताया है।

पाकिस्तान में मस्जिद पर हमले में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मरे

पाकिस्तानी **अखबार जंग** (31 जनवरी) के अनुसार पेशावर की एक मस्जिद में हुए आतंकवादी हमले में कम-से-कम 100 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 400 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जंग ने अपने संपादकीय में इस घटना के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया है और कहा है कि सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की धमकियों के कारण देश भर में सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए हैं। मगर इसके बावजूद आतंकवादी पुलिस लाइन की मस्जिद तक कैसे पहुंचे? जबकि सरकार का दावा है कि इस मस्जिद की सुरक्षा के लिए चार नाके लगाए गए थे, जिन पर पुलिस द्वारा सख्त जांच की व्यवस्था की गई थी।

समाचारपत्र ने कहा है कि टीटीपी ने पिछले महीने पाकिस्तान सरकार के साथ हुए शांति समझौते को भंग करने की घोषणा की थी और इसके साथ ही यह धमकी दी थी कि वे अब सुरक्षाकर्मियों और पुलिस को अपना निशाना बनाएगी। इसके बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा बड़े लंबे-चौड़े दावे किए गए थे। मगर पेशावर की इस मस्जिद में हुए धमाके ने इन सरकारी दावों की पोल खोल दी है।

इंकलाब (31 जनवरी) के अनुसार यह धमाका आत्मघाती हमलावर ने किया था। पाकिस्तान न्यूज चैनल 'जियो न्यूज' के अनुसार प्रतिबंधित संगठन टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेवारी स्वीकार की है। समाचारपत्र ने लिखा है कि जिस मस्जिद में यह धमाका किया गया, वह पेशावर पुलिस लाइन में स्थित थी और जब यह धमाका हुआ तो 700 के लगभग पुलिसकर्मी वहां नमाज अदा कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर रियाज महसूद ने कहा है कि इस धमाके के कारण मस्जिद ध्वस्त हो गई है और उसमें अभी काफी

लोग फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पेशावर के पुलिस कप्तान मोहम्मद एजाज खान ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि जब यह धमाका हुआ तो उस समय इस मस्जिद में 500 के लगभग पुलिसकर्मी नमाज अदा कर रहे थे और ये सभी लोग इस आतंकवादी हमले का शिकार हुए हैं। अभी यह कहना कठिन है कि मरने वालों की संख्या कितनी है?

अस्पताल सूत्रों के अनुसार 100 से अधिक शव अस्पतालों में लाए जा चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। 350 से अधिक घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में दाखिल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे घायल पुलिसकर्मियों की जान बचाने के लिए रक्तदान करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों का बेरहमी से कत्ल करना कुरान और इस्लाम के मूल्यों के खिलाफ है। इससे साफ है कि इस घटना के दोषी व्यक्तियों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है।

रोजनामा सहारा (22 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार टीटीपी से कोई वार्ता नहीं करेगी। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि अफगानिस्तान की भूमि पर जो आतंकवादी सक्रिय हैं, उनके खिलाफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ठोस कार्रवाई करेगी।

ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले

रोजनामा सहारा (24 जनवरी) के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हाल के दिनों में हिंदू मंदिरों पर हमलों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। कैनबरा स्थित भारतीय दूतावास ने इन हमलों पर चिंता प्रकट करते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार से मांग की है कि वह खालिस्तानियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करे। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि हाल ही में मेलबर्न में तीन हिंदू मंदिरों पर हमला करके वहां पर तोड़फोड़ की गई है। यह स्पष्ट रूप से बहुधार्मिक

ऑस्ट्रेलियाई समाज में नफरत और विभाजन के बीज को बोने की कोशिश है। उच्चायोग ने कहा है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि खालिस्तान के समर्थक ऑस्ट्रेलिया में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे

हैं और उन्हें 'सिख फॉर जस्टिस' जैसे आतंकवादी संगठनों से सहायता मिल रही है।

उच्चायोग ने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया सरकार का ध्यान 'सिख फॉर जस्टिस' की ओर से मेलबर्न में खालिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह कराने की ओर भी दिलाया था। भारतीय उच्चायोग ने ऑस्टेलिया सरकार से अनुरोध किया है कि वह भारतीयों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए कारगर उपाय करे और भारत की एकता को क्षति पहुंचाने वाली ताकतें जो ऑस्ट्रेलिया की भूमि का इस्तेमाल कर रही हैं, उन पर नियंत्रण लगाए।

गौरतलब है कि हाल ही में मेलबर्न में तीन हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए और वहां पर मूर्तियों की तोड़फोड़ की गई। बताया जाता है कि इन हमलों के पीछे खालिस्तान समर्थक तत्वों का हाथ है। मंदिरों में भारत और मोदी सरकार विरोधी नारे भी लिखे गए और आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के समर्थन में भी प्रदर्शन किए गए। इन घटनाओं के कारण ऑस्ट्रेलिया के हिंदुओं में बहुत नाराजगी है। बताया जाता है कि खालिस्तानी आतंकी मेलबर्न में खालिस्तान के समर्थन में एक रैली आयोजित करने की योजना भी बना रहे हैं। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक गत दो वर्षों से काफी सक्रिय हैं और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

अपराधों की रोकथाम के लिए शराब पर प्रतिबंध

इंकलाब (26 जनवरी) के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने अपराधों में हो रही तेजी से वृद्धि को रोकने के लिए अपने मध्य भाग में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध राजधानी से 200 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों में लगाया गया है। इस निर्णय के कारण रविवार, सोमवार और मंगलवार को शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जबकि अन्य दिनों में भी शराब की बिक्री पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। संवाद समिति 'रॉयटर्स' के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह महसूस किया है कि शराब के कारण देश में हिंसक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है और स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

हाल ही में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने एलिस स्प्रिंग्स नामक क्षेत्र का दौरा किया था और वहां के नेताओं, पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अपराधों को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अन्य भागों में भी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए विचार किया जा सकता है। मध्य आस्ट्रेलिया के

इन क्षेत्रों में आस्ट्रेलिया के मूलवासियों का बहुमत है। सरकारी सूत्रों के अनुसार गत एक वर्ष में अपराधों में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 25 हजार जनसंख्या वाले इस नगर में ढ़ाई हजार से अधिक हमले की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में शराब पर प्रतिबंध से संबंधित कानून 2007 में बनाया गया था, जिसे अब लागू किया गया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बेटा मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी

मुंबई उर्दू न्यूज (22 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी (एफआईए) ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोष मुक्त करार दिया है। जांच एजेंसी ने लाहौर की एक अदालत में इस संदर्भ में एक चालान पेश किया, जिसमें कहा गया कि सलमान और उनके सहयोगी ताहिर नकवी को जांच में दोषी नहीं पाया गया है।

गौरतलब है कि लाहौर की एक अदालत में इन दोनों आरोपियों के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था, जिसमें इन्हें भगौड़ा घोषित किया गया था। जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जांच अधिकारियों ने शहबाज परिवार के 28 बेनामी खातों का पता लगाया था, जिनके द्वारा गत दस वर्ष में 16 अरब 30 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी।

जांच एजेंसी ने नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ और उनके बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान ने अदालत में यह आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के कारण पुरानी सरकार ने उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया था। इस पर अदालत ने 23 दिसंबर 2022 को उन्हें पांच लाख के मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद, सुलेमान विदेश चले गए और अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। अब जांच एजेंसी ने इस मुकदमे को वापस ले लिया है।

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ा तनाव

इत्तेमाद (16 जनवरी) के अनुसार ओमान के मुफ्ती आजम शेख अहमद बिन हमद अल-खलीली ने कहा है कि फिलिस्तीन की आजादी और मस्जिद अल-अक्सा का संरक्षण दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे बड़ा फर्ज है और इस फर्ज को निभाने के लिए मुसलमानों को इजरायल के खिलाफ युद्ध करने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। आज इस बात की जरूरत है कि दुनिया भर के मुसलमान मिलकर इजरायल का नामोनिशान मिटा दें और फिलिस्तीनियों को यहूदियों की गुलामी से मुक्ति दिलाएं। इसके अतिरिक्त आतंकवादी संगठन हमास ने यह घोषणा की है कि फिलिस्तीनी जनता को उनका अधिकार दिलाने और इजरायल अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों को मुक्त करवाने के लिए वे अपना सशस्त्र संघर्ष तेज कर रहे हैं। हमास ने कहा कि हम अपनी भूमि और पवित्र स्थानों को यहूदियों के रहमोकरम पर नहीं छोड़ सकते। अल-अक्सा हमारा है और उस पर इजरायल का कोई अधिकार नहीं है।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 जनवरी) के अनुसार जेनिन कैंप पर इजरायल के हमले के बाद फिलिस्तीनियों द्वारा आत्मघाती हमलों में तेजी आ गई है। गत 24 घंटों में कम-से-कम पांच फिलिस्तीनी आत्मघाती हमले इजरायल में किए गए हैं, जिससे दर्जनों इजरायली मारे गए और सौ से अधिक जख्मी हो गए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 जनवरी) के अनुसार फिलिस्तीनी आत्मघाती हमलावरों की फायरिंग में आठ इजरायली मारे गए और 15 घायल हो गए। बताया जाता है कि यह गोलीबारी फिलिस्तीन की ओर से इजरायली सेना द्वारा जेनिन कैंप पर हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें नौ फिलिस्तीनी मारे गए थे और कम-से-कम 20 घायल हो गए थे। इसके बाद फिलिस्तीनी अरबों और इजरायली सैनिकों के बीच झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरुशलम में फिलिस्तीनयों के हमले को एक बड़ी कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि इजरायली सेना ने आक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

आपातकालीन अधिवेशन बुलाने की मांग की है। शरणार्थी शिविरों पर हमले के जवाब में फिलिस्तीन के अरबों ने यहूदी क्षेत्र अश्कलोन पर दर्जनों रॉकेट दागे, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है।

इत्तेमाद (23 जनवरी) के अनुसार फिलिस्तीन की सरकार ने यह आरोप लगाया है कि इजरायल समझौतों का उल्लंघन करके मस्जिद अल-अक्सा के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप कर रहा है। यह दुनिया भर के दो अरब मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसे कभी सहन नहीं किया जाएगा। हाल ही में इजरायल ने यहूदी कट्टरपंथियों को अल-अक्सा मस्जिद में यहूदी तरीके से नमाज अदा करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त वह इस मस्जिद में पशुओं की कुर्बानी देने की अनुमति दे रहा है, जो कि इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ हैं। जो फिलिस्तीनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें इजरायली सैनिक मस्जिद में दाखिल होने से रोकते हैं और उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देते। इजरायल की इस आक्रामक कार्रवाई के कारण युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 न्यूज) के अनुसार जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजरायली राजदूत को बुलाकर विरोध प्रकट किया है और कहा है कि जॉर्डन के राजदूत को मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल होने से रोकना अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (28 जनवरी) के अनुसार नौ फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारने के बाद इजरायली सैनिकों ने गाजा पर धावा बोल दिया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने अल-मगाजी और अल-जैतून शरणार्थी शिविरों पर कम-से-कम 15 मिसाइल दागे, जिसके बाद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच पुनः युद्ध शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। चीन और फ्रांस ने संभावित युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का

मोरक्को ने 18 वर्ष के बाद बगदाद में अपना दूतावास खोला

रोजनामा सहारा (30 जनवरी) के अनुसार दो दशक के बाद मोरक्को ने इराक के साथ डिप्लोमेटिक संबंध पुनः स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही बगदाद में मोरक्को का दूतावास भी खोल दिया गया है। गौरतलब है कि इराक में सुरक्षा की बिगड़ती

स्थिति को देखते हुए 2005 में मोरक्को की सरकार ने बगदाद में अपना दूतावास बंद कर दिया था।

दो दशक के बाद अब रबात और बगदाद के बीच पुनः डिप्लोमेटिक संबंध शुरू हुए हैं। हाल ही में मोरक्को के विदेश मंत्री नासिर

बौरिटा ने बगदाद का दौरा किया था। बौरिटा के बगदाद दौरे के बाद इराक ने यह घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच पुनः डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित होने से आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के नए युग की शुरुआत होगी। मोरक्को के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 2005 में बगदाद में मोरक्को का दूतावास इसलिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि अलकायदा ने मोरक्को दूतावास के दो अधिकारियों का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी।

ईरान पर परमाणु हमले के लिए इजरायल तैयार

रोजनामा सहारा (17 जनवरी) के अनुसार इजरायली सेना ने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार आदेश देगी, तो वे ईरान पर बिना एक पल देरी किए परमाणु हमला करने के लिए तैयार हैं। अल-अरेबिया न्यूज के अनुसार इजरायल के एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकाने हमारे निशाने पर हैं। हमारी सरकार जैसे ही हमें इशारा करेगी, हम उन ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह व बर्बाद कर देंगे। इजरायल ने आरोप लगाया है कि ईरान के इशारे पर सीरिया, लेबनान और इराक में युद्ध की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इससे इजरायल के लिए खतरा बढ़ गया है।

रोजनामा सहारा (28 जनवरी) के अनुसार इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने नाटो देशों से आग्रह किया है कि वे ईरान के खिलाफ अपने रूख को कड़ा करें। क्योंकि ईरान यूक्रेन के खिलाफ रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। नाटो ने इस खतरे को क्योंकि गंभीरता से नहीं लिया है, इसलिए यह खतरा अब यूक्रेन की सीमाओं से बढ़कर यूरोप तक पहुंच गया है। इन दिनों अमेरिका और इजरायल मिलकर सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि अब नाटो को ईरान के आक्रामक इरादों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों के अतिरिक्त अन्य प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए।

गौरतलब है कि नाटो देश इजरायल पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वह यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ नाटो का साथ दे। मगर अभी तक इजरायल ने यूक्रेन को अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करने से इंकार कर दिया है। क्योंकि वह फिलहाल रूस को नाराज नहीं करना चाहता। हालांकि, इजरायल के राष्ट्रपति ने कहा है कि वे दिल से यूक्रेन के साथ हैं। क्योंकि वे अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी ओर, नाटो के महासचिव ने कहा है कि इजरायल के राष्ट्रपति ने हाल ही में अमेरिका का जो दौरा किया था, उसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच सैनिक गठबंधन को मजबूत करना था और इजरायल तथा नाटो के बीच शीघ्र ही एक महत्त्वपूर्ण समझौता होने की संभावना है।

इस्लामिक विद्वान को फांसी देने के सऊदी फैसले का विरोध

सियासत (21 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब विश्व के प्रमुख इस्लामिक विद्वान को अशांति फैलाने के आरोप में फांसी पर लटकाने की तैयारी कर रहा है। इस विश्वविख्यात इस्लामिक विद्वान का नाम अवाद अल-करनी है, जिन्होंने सितंबर 2017 में मोहम्मद बिन सलमान को युवराज बनाने का विरोध किया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से यह विद्वान सऊदी जेल में बंद हैं। अवाद अल-करनी के बेटे नासिर, जो इन दिनों ब्रिटेन में शरण लिए हुए हैं, ने सऊदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह उनके पिता को फांसी पर लटकाने की तैयारी कर रहा है।

हाल ही में सऊदी अदालत में सरकारी वकील ने अवाद अल-करनी पर यह आरोप लगाया है कि वे इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) के समर्थक हैं और वे सऊदी सरकार के खिलाफ हैं। सरकारी वकील का यह भी कहना है कि यह इस्लामिक विद्वान जनता को सऊदी शासकों के खिलाफ भड़का रहा है और सऊदी अरब में अशांति फैलाने की तैयारी कर रहा है। इस लक्ष्य से उन्होंने सऊदी जनता को शासकों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया था। सऊदी सरकार ने इस संदर्भ में कोई भी टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा है कि अल-करनी के खिलाफ मामला अदालत में है और उनके खिलाफ सऊदी कानून के तहत ही कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (19 जनवरी) ने कहा है कि यहूदियों के दबाव के चलते सऊदी सरकार आलम-ए-इस्लाम के विद्वान अवाद अल-करनी को सजा-ए-मौत सुना चुकी है और उन्हें जल्द ही किसी अज्ञात जेल में फांसी पर लटका दिया जाएगा। समाचार में कहा गया है कि सऊदी सरकार अमेरिका और इजरायल के दबाव पर इस्लामिक परंपराओं का उल्लंघन कर रही है और जो इस्लामिक विद्वान इसका विरोध करते हैं, उन्हें सऊदी सरकार जेलों में बंद कर देती है। सैकड़ों विश्वविख्यात इस्लामिक विद्वान इन दिनों जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब में उदारवादी इस्लाम के नाम पर कुरान, सुन्नत और शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले शासकों का विरोध किया था। इससे पहले भी कई इस्लामिक विद्वानों को गुप्त रूप से फांसी पर लटकाया जा चुका है।

आईएसआईएस के समर्थकों के खिलाफ अभियान

इत्तेमाद (28 जनवरी) के अनुसार इराक की एक अदालत ने 2014 में सैकड़ों फौजी कैडेटों (प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले फौजियों) की हत्या के सिलसिले में आईएसआईएस के 14 व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार आईएसआईएस के आतंकवादियों ने जून 2014 में तिकरित नामक सैन्य अड्डे से 1700 शिया कैडेटों का अपहरण करके उनकी सामूहिक हत्या कर दी थी। अब बगदाद की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोप में 36 अन्य लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। सरकार का कहना है कि आईएसआईएस के आतंकवादियों ने इराक पर कब्जा करने के बाद सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी थी और उन्हें सामूहिक कब्रों में दफना दिया था।

हालांकि, सरकारी तौर पर आईएसआईएस से संबंधित कैदियों के आंकड़ों की घोषणा नहीं की गई है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2018 में यह दावा किया था कि इराकी जेलों में आईएसआईएस से संबंधित 12 हजार कैदी बंद हैं। इससे पूर्व भी पिछले वर्ष 17 अन्य कैदियों को फांसी पर लटकाया गया था।

अवधनामा (21 दिसंबर) के अनुसार लीबिया में आईएसआईएस से संबंध रखने वाले 17 लोगों को अदालत ने मौत की सजा दी है। इन पर नागरिकों की हत्या करने का आरोप है। सरकारी वकील के अनुसार इन लोगों ने 53 लोगों का अपहरण करके उन्हें गोली मार दी थी और अनेक सरकारी इमारतों को ध्वस्त कर दिया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार आईएसआईएस द्वारा बंधक बनाए गए दो हजार लोगों को लापता बताया जा रहा है, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई थी।

रोजनामा सहारा (28 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह घोषणा की है कि अमेरिकी सेना ने उत्तरी सोमालिया में आईएसआईएस से संबंधित लोगों के खिलाफ सैनिक ऑपरेशन किया है, जिसमें एक कमांडर बिलाल अल-सूडानी सहित दस अन्य लोगों को मार गिराया गया है। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि बिलाल अल-सूडानी ने अफ्रीका और अफगानिस्तान में आईएसआईएस की आतंकी गतिविधियों का संचालन किया था।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि जो लोग मारे गए हैं, उनमें से अधिकांश का संबंध सूडान से है। इस ऑपरेशन में सोमालिया की सेना ने भी अमेरिकी सेना के साथ मिलकर भाग लिया था। पिछले महीने एक अन्य ऑपरेशन के दौरान एक इस्लामिक आतंकी संगठन से संबंधित सौ से अधिक लोगों को मार गिराया गया था। अल-शबाब नामक यह आतंकी संगठन सोमालिया के पूर्वी हिस्से पर काबिज है और वहां से वह समानांतर सरकार चला रहा है।

आठवें निजाम का निधन

मुंबई उर्दू न्यूज (16 जनवरी) के अनुसार हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान के पोते और आठवें निजाम नवाब मीर बरकत अली खान का तुर्किये में निधन हो गया। उनकी उम्र 90 वर्ष थी। उनकी मां अंतिम इस्लामिक खलीफा अब्दुल हमीद द्वितीय की इकलौती पुत्री दुर्रु शेहवार थीं। निजाम की अंतिम इच्छा के अनुरूप उनके शव को हैदराबाद लाकर उनके खानदानी कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ दफन किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने अंतिम निजाम की मौत पर संवेदना व्यक्त की है।

तसलीमा नसरीन हुईं अपाहिज

मुंबई उर्दू न्यूज (22 जनवरी) के अनुसार निर्वासित जीवन व्यतीत करने वाली बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन अपाहिज हो गई हैं। नसरीन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं और उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे घुटने की चोट के कारण अस्पताल गई थीं। मगर डॉक्टरों ने गलत इलाज किया और उनके कूल्हे की हड्डी के जोड़ को ऑपरेशन से निकाल दिया। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण वह उम्र भर के लिए अपाहिज हो गई हैं और उनका जीवन बिस्तर तक ही सीमित हो गया है।

हरिद्वार की सात मस्जिदों पर जुर्माना

मुंबई उर्दू न्यूज (21 जनवरी) के अनुसार उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने लाउडस्पीकर द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में सात मस्जिदों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और इसके साथ ही दो मस्जिदों को कड़ी चेतावनी भी दी है। यह कार्रवाई हरिद्वार के एसडीएम पूरन सिंह राणा की ओर से की गई है। गौरतलब है कि नैनिताल उच्च न्यायालय और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर मस्जिदों में कुछ शर्तों और पाबंदियों के साथ लाउडस्पीकर इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी।

प्रशासन का दावा है कि इन मस्जिदों के प्रबंधकों ने नियमों और प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर बजाए

हैं। प्रदूषण बोर्ड द्वारा जांच करने के बाद उन्हें नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के कारण हर मस्जिद पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कॉलेज में बुर्का पहनकर आने की अनुमति

अवधनामा (20 जनवरी) के अनुसार मुसलमानों के विरोध-प्रदर्शन के बाद मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों ने मुस्लिम छात्राओं को बुर्का पहनकर कॉलेज आने की अनुमति दे दी है। इसके अतिरिक्त ये छात्राएं क्लास में भी हिजाब पहनकर आ सकेंगी। नए नियमों के अनुसार छात्राओं के कॉलेज में दाखिल होने के बाद बुर्के उतारने के लिए एक विशेष रूम की व्यवस्था की गई है।

इससे पूर्व कॉलेज के प्रबंधकों ने नए ड्रेस कोड के नाम पर छात्राओं के बुर्का पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के बाहर धरना दिया और जबर्दस्त हंगामा किया। इस हंगामे का समर्थन समाजवादी स्टूडेंट यूनियन के नेताओं ने किया था। जब स्थिति बिगड़ गई तो कॉलेज के प्रिंसिपल और छात्र नेताओं में काफी बहस हुई, जिसके बाद प्रशासन ने हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया और छात्राओं को बुर्का पहनकर कॉलेज में आने की अनुमति दे दी गई।

जातिगत जनगणना पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार

अवधनामा (21 जनवरी) के अनुसार नीतीश सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने जातिगत जनगणना करवाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि वे इस संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका दायर करें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह संवैधानिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि किसी राज्य सरकार को यह निर्देश दे कि वह किसी विशेष जाति को कितना आरक्षण दे। गौरतलब है कि बिहार सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है, जिसे हिंदू सेना, नालंदा के एक पदाधिकारी ने अदालत में चुनौती दी थी और जातिगत जनगणना से संबंधित अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी।

RNI No. DELHIN/2017/72722

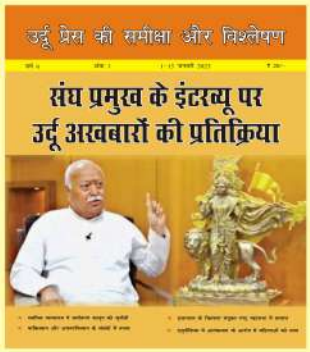

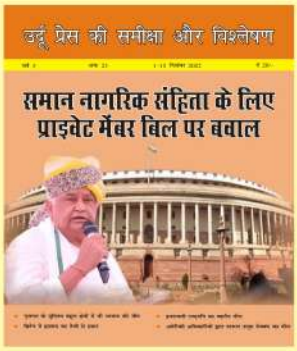

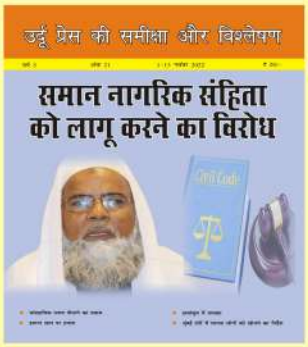

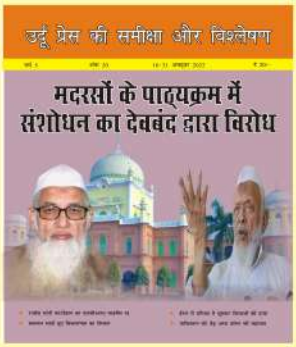

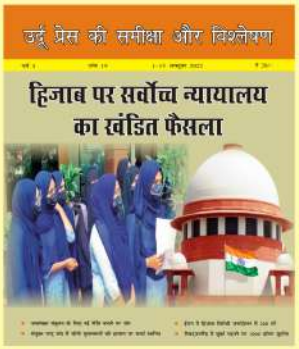

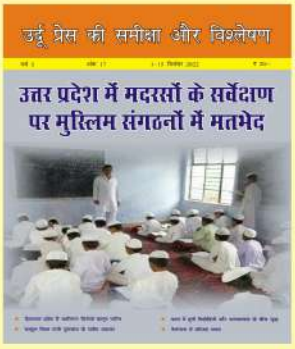

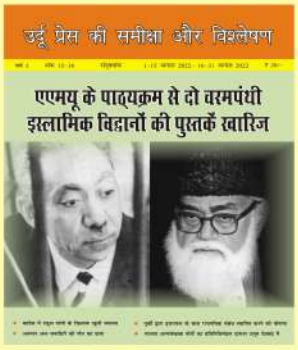

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in